भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

**राज्य सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 3683**
बुधवार, 5 अप्रैल, 2023 (15 चैत्र, 1945 (शक)) को उत्तरार्थ

## सहकारी क्षेत्र में नई योजनाएं

**3683 डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे**

क्या ***सहकारिता*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले में सहकारी क्षेत्र में कोई नई योजना कार्यान्वित/प्रस्तावित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए अलग से कोई अन्य योजना प्रस्तावित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) और (ख): 'सहकार से समृद्धि' की परिकल्पना को साकार करने, देश में सहकारी आंदोलन को सशक्त करने, इसकी पहुंच जमीनी स्तर तक करने और विभिन्न सेक्टरों में सहकारी परितंत्र को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार, महाराष्ट्र के अमरावती जिला सहित, देश भर के शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं- केन्द्रीय क्षेत्रक व केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं, कार्यक्रमों व पहलों का कार्यान्वयन कर रही है । इस संबंध में सहकारिता मंत्रालय ने जुलाई, 2021 में अपनी स्थापना के बाद से ही अनेक पहलें की हैं जैसे:

1. <u>पैक्स के कंप्यूटरीकरण की केन्द्रीय प्रायोजित परियोजना:</u> 2,516 करोड़ रुपए के परिव्यय से 63,000 कार्यशील पैक्स को एक ERP आधारित कॉमन राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर ऑनबोर्ड करने की प्रक्रिया आरंभ की गई है ।

2. <u>पैक्स के लिए आदर्श उपविधियां:</u> पैक्स को डेयरी, मात्स्यिकी, गोदामों की स्थापना, एलपीजी/पेट्रोल/हरित ऊर्जा वितरण एजेंसी, बैंकिंग अभिकर्ता, कॉमन सेवा केन्द्र, आदि जैसी 25 से भी अधिक व्यावसायिक कार्यकलाप करने में सक्षम करने के लिए आदर्श उपविधियां तैयार कर संबंधित राज्यों के सहकारी अधिनियम के अनुसार अपनाए जाने के लिए परिचालित किया गया ।

3. <u>कॉमन सेवा केन्द्र (सीएससी) के रूप में पैक्स:</u> पैक्स की व्यवहार्यता में सुधार, गांव स्तर पर ई-सेवा प्रदान करने व रोज़गार सृजन के लिए पैक्स को कॉमन सेवा केन्द्र के रूप में कार्य करने में सक्षम करने के लिए सहकारिता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नाबार्ड और सीएससी-एसपीवी के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया ।

4. <u>राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस:</u> नीति निर्माण और कार्यान्वयन में सभी हितधारकों की मदद के लिए देश की सहकारी समितियों के प्रामाणिक और अद्यतित डाटा भंडार हेतु एक राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस आरंभ किया गया है ।

5. प्रत्येक पंचायत/गांव में बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी, मात्स्यिकी सहकारी समिति की स्थापना: सरकार द्वारा विभिन्न मौजूदा योजनाओं का लाभ लेकर आगामी पांच वर्षों में 2 लाख नई बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी एवं मात्स्यिकी सहकारी समितियां स्थापित करने की योजना बनाई गई है ।

6. राष्ट्रीय सहकारी नीति: सक्षम परितंत्र सृजित करके 'सहकार से समृद्धि' की परिकल्पना को साकार करने हेतु नई सहकारी नीति बनाने के लिए देश भर से लिए गए विशेषज्ञों व हितधारकों को शामिल करके एक राष्ट्रीय स्तर की समिति का गठन किया गया है ।

7. बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 का संशोधन: सत्तानवें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाविष्ट करने, बहुराज्य सहकारी समितियों में शासन सशक्तिकरण, पारदर्शिता वृद्धि, जवाबदेही बढ़ाने व निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार के लिए केन्द्रीय प्रशासित बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 को संशोधित करने हेतु संसद में विधेयक पुर:स्थापित किया गया ।

8. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम: एनसीडीसी द्वारा विभिन्न सेक्टरों में सहकारी समितियों के लिए नई योजनाएं जैसे स्वयं-सहायता समूहों के लिए 'स्वयंशक्ति सहकार'; दीर्घकालिक कृषि ऋण के लिए 'दीर्घावधि कृषक सहकार'; डेयरी के लिए 'डेयरी सहकार' और मात्स्यिकी के लिए 'नील सहकार' आरंभ की गई है । वित्तीय वर्ष 2021-22 में एनसीडीसी ने 34,221 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का संवितरण किया ।

9. क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट में सदस्य ऋणदाता संस्थान: गैर-अधिसूचित शहरी सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE) योजना में बतौर सदस्य ऋणदाता संस्थान (MLIs) के रूप में अधिसूचित किया गया जिससे ऋण देने में सहकारी समितियों की हिस्सेदारी में वृद्धि हो सके ।

10. जेम पोर्टल पर सहकारी समितियां बतौर 'क्रेता' के रूप में शामिल: जेम पर सहकारी समितियों को 'क्रेता' के रूप में पंजीकृत होने की अनुमति दी गई जिससे किफायती खरीद और अधिक पारदर्शिता के साथ वे लगभग 40 लाख विक्रेताओं से माल व सेवा की खरीद कर सकेंगे ।

11. सहकारी समितियों के अधिभार में कटौती: 1 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए तक की आय वाली सहकारी समितियों के अधिभार को 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है ।

12. न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) में कटौती: सहकारी समितियों के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर की दर को 18.5% से घटा कर 15% कर दिया गया है ।

13. आयकर अधिनियम की धारा 269ST के तहत राहत: आयकर अधिनियम की धारा 269ST के तहत सहकारी समितियों द्वारा किए गए नकद लेनदेन पर कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक स्पष्टीकरण जारी किया गया है ।

14. नई सहकारी समितियों के लिए कर की दर को कम करना: केन्द्रीय बजट 2023-24 में 31 मार्च, 2024 तक विनिर्माण कार्य आरंभ करने वाली नई सहकारी समितियों को अधिभार के साथ 30% तक की मौजूदा कर दर की तुलना में 15% की सपाट दर से कर लगाने की घोषणा की गई है ।

15. पैक्स तथा प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (PCARDBs) द्वारा नकद जमाराशियों व नकद ऋणों की सीमा में बढ़ोत्तरी: केन्द्रीय बजट 2023-24 में पैक्स तथा प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (PCARDBs) द्वारा नकद जमाराशियों व नकद ऋणों की सीमा को 20,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए प्रति सदस्य करने की घोषणा की गई है ।

16. स्रोत पर कर कटौती की सीमा में वृद्धि: केन्द्रीय बजट 2023-24 में सहकारी समितियों की स्रोत पर कर कटौती किए बिना उनकी नकद निकासी सीमा को 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर को 3 करोड़ रुपए प्रति वर्ष करने की घोषणा की गई है ।

17. सहकारी चीनी मिलों को राहत: सहकारी चीनी मिलों पर किसानों को उचित और लाभकारी मूल्य अथवा राज्य की सलाह मूल्य तक, गन्ने के उच्चतर मूल्यों के भुगतान करने पर अतिरिक्त आयकर नहीं देना पड़ेगा ।

18. सहकारी चीनी मिलों के पुराने लम्बित मुद्दों का समाधान: केन्द्रीय बजट 2023-24 में घोषणा की गई है कि मूल्यांकन वर्ष 2016-17 से पूर्व सहकारी चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों को किए गए भुगतानों को व्यय के रूप में दावा करने की अनुमति होगी जिससे उन्हें लगभग 10,000 करोड़ रुपए की राहत प्राप्त हो सकेगी ।

19. राष्ट्रीय स्तर की नई बहुराज्य सहकारी बीज समिति: बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के तहत राष्ट्रीय स्तर की नई सर्वोच्च बहुराज्य सहकारी बीज समिति की स्थापना की जा रही है जो अंब्रेला संगठन के रूप में एकल ब्रांड नाम के अंतर्गत उन्नत बीजों की खेती, उत्पादन व वितरण करेगा ।

20. राष्ट्रीय स्तर की नई बहुराज्य सहकारी जैविक समिति: बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के तहत राष्ट्रीय स्तर की नई सर्वोच्च बहुराज्य सहकारी जैविक समिति की स्थापना एक अंब्रेला संगठन के रूप में किया जा रहा है जो प्रमाणित व प्रामाणिक जैविक उत्पादों के उत्पादन, वितरण व विपणन करेगा ।

21. राष्ट्रीय स्तर की नई बहुराज्य सहकारी निर्यात समिति: बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के तहत राष्ट्रीय स्तर की नई सर्वोच्च बहुराज्य सहकारी निर्यात समिति की स्थापना एक अंब्रेला संगठन के रूप में किया जा रहा है जो सहकारी क्षेत्र से किए जाने वाले निर्यातों को गति प्रदान करेगा ।

सहकारिता मंत्रालय द्वारा किए गए पहलों के अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा भी अनेक योजनाएं चलायी जा रही हैं, जैसे:-

1. **कृषि अवसंरचना कोष (AIF)** एक केन्द्रीय क्षेत्रक योजना है जिसका कार्यान्वयन कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है जो देश में कृषि अवसंरचना में सुधार के लिए प्रोत्साहन व वित्तीय सहायता के माध्यम से फसल कटाई के बाद प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक कृषि आस्तियों के निर्माण की परिकल्पना करता है ।

2. **कृषि विपणन अवसंरचना (AMI)** एक केन्द्रीय क्षेत्रक योजना है जिसका कार्यान्वयन कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कृषि मूल्य श्रृंखला के समग्र विकास के लिए किया जा रहा है । अवसंरचना सुदृढ़ करने के माध्यम से कृषि विपणन अवसंरचना, ग्रामीण हाटों को बतौर GrAMs विकसित व अपग्रेड करने पर विशेष ध्यान देता है ।

3. **कृषि यांत्रिकीकरण पर उपमिशन (SMAM)** एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जिसका कार्यान्वयन कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है जो कृषि यांत्रिकीकरण बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक और उच्च मूल्य कृषि उपकरणों के लिए कस्टम हाइरिंग केन्द्र और हब स्थापित करने की परिकल्पना करता है ।

4. **एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH)** एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जिसका कार्यान्वयन कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बागवानी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के

लिए कार्यान्वित किया जा रहा है । एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अधीन विभिन्न कार्यकलाप, जैसे शीतागार, शीतालन कक्ष और विपणन अवसंरचना सहित फसल पश्चात् अवसंरचनाएं स्थापित करना शामिल है ।

5. **प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (PMFME)** एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जिसका कार्यान्वयन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है जिसका लक्ष्य सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की संगठित आपूर्ति श्रंखला का निर्माण करना है । यह 2 लाख उद्यमों को औपचारिक अवसंरचना में स्थानांतरित करने की परिकल्पना करता है ।

6. **प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY)** एक केन्द्रीय क्षेत्रक योजना है जिसका कार्यान्वयन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है जो फार्मगेट से रीटेल आउटलेट तक कुशल आपूर्ति श्रंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचनाओं के निर्माण को लक्षित करता है । इसकी कई उपयोजनाएं हैं, जैसे खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमताओं का निर्माण, ऑपरेशन ग्रीन्स, एकीकृत शीतालन श्रंखला और मूल्य वर्धन अवसंरचना की स्थापना, आदि ।

7. **राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD)** एक केन्द्रीय क्षेत्रक योजना है जिसका कार्यान्वयन पशुपालन और डेयरी विभाग कर रहा है और जिसका लक्ष्य दूध और दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता में वृद्धि और संगठित प्रापण, प्रसंस्करण, मूल्य वर्धन तथा विपणन की हिस्सेदारी में वृद्धि सुनिश्चित करना है ।

8. **डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास फंड (DIDF)** एक केन्द्रीय क्षेत्रक योजना है जिसका कार्यान्वयन पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा किया जा रहा है और जिसका लक्ष्य मूल्य वर्धित उत्पादों के लिए विनिर्माण सुविधाएं, दुग्ध द्रुतशीतन अवसंरचना, इलेक्ट्रॉनिक दुग्ध परीक्षण उपकरण स्थापित करने सहित दुग्ध प्रसंस्करण अवसंरचना, आदि का निर्माण और आधुनिकीकरण करना है ।

9. **प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY)** एक केन्द्रीय प्रायोजित अंब्रेला योजना है जिसमें केन्द्रीय सेक्टर योजना घटक भी शामिल है जिसका कार्यान्वयन मत्स्यपालन विभाग द्वारा किया जा रहा है । इसे मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता, गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी, फसल पश्चात अवसंरचना और प्रबंधन, मूल्य श्रृंखला का आधुनिकीकरण व सशक्तिकरण, आदि के लिए डिज़ाइन किया गया है ।

10. **मत्स्यपालन और एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (FIDF)** एक केन्द्रीय क्षेत्रक योजना है जिसका कार्यान्वयन  मत्स्यपालन विभाग कर रहा है और जिसका लक्ष्य समुद्री और अंतर्देशीय मात्स्यिकी क्षेत्रक, दोनों में मात्स्यिकी अवसंरचना सुविधाओं का निर्माण करना और देश में मत्स्य उत्पादन को सुदृढ़ करना है ।

11. **भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ (TRIFED)** मुख्य रूप से वनों में रहने वाले जनजातीय आबादी की बहुलता वाले जिलों में लघु वनोत्पाद के एकत्रण व बिक्री हेतु वनधन कार्यक्रम के कार्यान्वयन की अगुवाई करता है । यह जनजातीय जिलों में जनजातीय समुदाय के स्वामित्व में वनधन विकास केन्द्र क्लस्टरों को (VDVKCs) स्थापित करने की परिकल्पना करता है ।

******